

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18/02/2021

क्रमांक एफ 19-1/2017/38-2, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-1/2008/2-38 दिनांक 18.06.2009 द्वारा गांव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-7/2008/2-38 दिनांक 18.06.2009 द्वारा गांव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु गांव की बेटी योजना के नियम निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश की कंडिका 1.8 में नगर पंचायत शब्द का उल्लेख है। कंडिका 1.8 निम्नानुसार है :-


“गांव की बेटी योजना नियम एफ 19-7/2008/2-38 दिनांक 18.06.2009 की कंडिका 1.8 में ‘ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। केवल इस योजना के लिए नगर पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगा का उल्लेख है।”

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 में वर्ष 2011 में हुए संशोधन के परिप्रेक्ष्य में गांव की बेटी योजना के निर्देश दिनांक 18.06.2009 की कंडिका 1.8 में ‘नगर पंचायतों’ के स्थान पर ‘नगर परिषदों’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. उक्त योजना की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(वीर सिंह भलावी)

अवर सचिव


म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 19-1/2017/38-2

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
 2. विशेष सहायक, मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग।
 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
 5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
 6. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 8. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय/निजी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 9. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भोपाल, दिनांक 18/02/2021


अवर सचिव

म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग